

नवीन नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति का प्रपत्र

(प्रपत्र संख्या 3741)

(नवीन नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के निष्पादन संबंधी निर्देशों हेतु कृपया निर्देश देखें)

मैं, एतद् द्वारा अपने (संबंध) _____ श्री/श्रीमती _____ (नियुक्त व्यक्ति), जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा जिनका पता है: _____, को इस बीमा पॉलिसी द्वारा सुरक्षित धनराशि को नामांकित व्यक्ति (Nominee) की अल्पायु अवस्था में मेरी मृत्यु होने की स्थिति में, दिनांक _____ द्वारा किया गया पृष्ठांकन पर की गई नियुक्ति में उल्लिखित पूर्व नियुक्त व्यक्ति _____ के स्थान पर, प्राप्त करने हेतु नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थान _____, इस _____ दिन _____ 20__

साक्षी:

(हस्ताक्षर)

(जीवन बीमित के हस्ताक्षर)

पूरा नाम: _____

व्यवसाय: _____

पता: _____

“यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नवीन नियुक्ति की विषयवस्तु को मैंने बीमित व्यक्ति को स्थानीय भाषा में समझाया है तथा उन्होंने उसे पूर्णतः समझकर मेरे समक्ष हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित किया है।

(साक्षी के हस्ताक्षर)

(Seal)

मैं, उपर्युक्त नामित, एतद् द्वारा _____ (नियुक्त व्यक्ति) को अपनी उपरोक्त नियुक्ति के प्रति अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

स्थान _____, इस _____ दिन _____ 20__ को।

साक्षी: _____ हस्ताक्षर: _____

पूरा नाम: _____

पदनाम: _____

पता: _____

(नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर)

(निर्देश देखें)

निर्देश

(1) नवीन नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो अपनी स्वयं की जीवन बीमा पॉलिसी का धारक (जीवन बीमित) हो। यह नियुक्ति तभी की जानी चाहिए जब पूर्व नियुक्ति को निर्धारित प्रपत्र में निरस्त (रद्द) कर पॉलिसी पर अंकित किया जा चुका हो।

(2) आवश्यक रिक्त स्थान भरने के पश्चात, जीवन बीमित को इस प्रपत्र को पॉलिसी के पीछे लिखना चाहिए। यदि जीवन बीमित के हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में नहीं हैं, तो साक्षी का प्रमाण-पत्र भी अंकित किया जाना चाहिए। (निर्देश 3 देखें)।

(3) जीवन बीमित को नवीन नियुक्ति के इस अनुमोदन (एंडोर्समेंट) पर साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यदि बीमित व्यक्ति अशिक्षित है, तो उसे अपने अंगूठे का निशान पृष्ठांकन पर मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी, कम से कम 3 वर्ष के अनुभव वाले अधिकारी या विकास अधिकारी, अथवा ऐसे स्थायी विकास अधिकारी जो एजेंटों में से भर्ती हुआ हो और जो पहले डिवीज़नल क्लब या शाखा अधिकारी क्लब का सदस्य रहा हो, या ऐसे विकास अधिकारी जो एजेंटों में से भर्ती हुआ हो और जो पहले ज़ोनल क्लब या अध्यक्ष क्लब का सदस्य रहा हो, के समक्ष लगाना चाहिए, बशर्ते कि वह अधिकारी पृष्ठांकन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों की पहचान के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो। ऐसे मामलों में साक्षी को प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

(4) नियुक्त व्यक्ति को भी अपनी सहमति के रूप में, नवीन नियुक्ति के अनुमोदन के नीचे साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना होगा, जिसे साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(5) नवीन नियुक्ति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसे निगम को सूचित कर विधिवत पंजीकृत न कर लिया जाए। इस हेतु, विधिवत भरी एवं हस्ताक्षरित पॉलिसी को उस सेवा कार्यालय में भेजना आवश्यक है जहाँ पॉलिसी का संचालन हो रहा है।

(टिप्पणी : यदि किसी शर्तों और निबंधनों और विशेष प्रवधानों / शर्तों के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेज़ी पाठ विधिमान्य होगा)